

कार्यालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर म0प्र0

क्रमांक-56 / सीजेएम / 2025

सागर, दिनांक-29.03.2025

वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी


माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक-बी/5379 III.2.5/14 जबलपुर दिनांक-9.10.17 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के पृष्ठांकन क्रमांक-4145 (दो-6-5)14 सागर दिनांक-11.10.17 के परिपालन में जिला न्यायालय एवं केन्द्रीय जेल सागर के मध्य वीडियो कान्फेसिंग सुविधा विधिवत रूप से संचालित किये जाने हेतु मैं **श्रीमती नेहा बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर म0प्र0** न्यायालयीन कार्य दिवसों में **अपरान्ह 2.30 बजे से 2.45 बजे** के मध्य **माह मार्च 2025** में निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मुख्यालय सागर की वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी नियत करती हूँ:-

माह अप्रैल-2025

क्र.	न्यायाधीश का नाम	वीडियो कान्फेसिंग कार्य दिनांक
		माह अप्रैल
1	सुश्री रीना शर्मा	28, 29, 30
2	श्री रोहित शर्मा,	09, 11, 12
3	सुश्री शिखा चतर्वेदी	15, 16, 17
4	श्री विनय सिंह राजपूत	21, 22, 23
5	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	24, 25, 26
6	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	01, 02, 03
7	श्रीमती खुशबू दांगी	04, 05, 07, 08

नोट-1. संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अनुपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रभार होगा, उनके द्वारा वीडियो कान्फेसिंग करवाई जावे एवं विशेष परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित मजिस्ट्रेट वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी संपादित करेंगे। कॉलम नं0 2 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में वह प्रभारी मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।

नोट:-2. संबंधित मजिस्ट्रेट वीडियो कान्फेसिंग रूम में समय से उपस्थित होकर जेल में निरुद्ध बंदियों की उपस्थिति वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से कराकर उक्त आशय की टीप वारंट एवं पत्रावली पर दर्ज करेंगे एवं संबंधित न्यायालय के निष्पादन लिपिक जेल वारंट एवं रिमांड पत्रावली के साथ निर्धारित समय पर वीडियो कान्फेसिंग रूम में उपस्थित रहेंगे।


(श्रीमती नेहा बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर म0प्र0

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संबंधित समस्त मजिस्ट्रेटगण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय सागर म0प्र0 को आवश्यक रूप से संबंधित न्यायिक अधिकारियों को मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं वीडियो कान्फ्रसिंग के लिए निर्धारित समय से पूर्व सिस्टम को चैक कर चालू करने एवं कार्यवाही पूर्ण करने में सहयोग हेतु।
4. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सागर म0प्र0 को सूचनार्थ।

Neha
29/03/25
(श्रीमती नेहा बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर म0प्र0